

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 50/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/54) श्री चिरंजीलाल अहीर बनाम श्री कैलाश अहीर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.10.2024	<p>उपस्थिति दौराने बहस:-</p> <p>1. श्री नरेश जणवा - वकील अपीलार्थी 2. श्री पुनित शर्मा - वकील प्रत्यर्थी-1 से 3 2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-4</p> <p>अनवान</p> <p>1. श्री चिरंजीलाल पिता स्व. श्री बद्रीलाल अहीर, निवासी फाचर अहीरान, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।</p> <p>अपीलार्थी</p> <p>बनाम</p> <p>1. श्री कैलाश अहीर पिता स्व. श्री बद्रीलाल अहीर, निवासी फाचर अहीरान, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़। 2. श्री जगदीश पिता स्व. श्री बद्रीलाल अहीर, निवासी फाचर अहीरान, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़। 3. श्रीमती उंकारीबाई पत्नि श्री चिरंजीलाल अहीर, निवासी फाचर अहीरान, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़। 4. तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।</p> <p>प्रत्यर्थी</p> <p>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 270 दिनांक 25.04.2022</p> <p>निर्णय</p> <p>दिनांक 08.10.2024</p> <p>उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 270 दिनांक 25.04.2022 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।</p> <p>प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-</p> <ul style="list-style-type: none"> अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, निम्बाहेड़ा समक्ष वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 व 2 द्वारा उनके पिता श्री बद्रीलाल पिता बातेलाल अहीर द्वारा दिनांक 09.02.2021 को की गई एक अनरजिस्टर्ड वसीयत पेश कर वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का आवेदन किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा निर्णय दिनांक 21.04.2022 से उक्त आवेदन स्वीकार किया और उक्त आदेश की अनुपालना में प्रत्यर्थी-1 से 3 के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 270 दिनांक 25.04.2022 पारित किया गया। <p>न्यायालय तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा पारित उक्त नामान्तरकरण से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष मयाद बाधित अपील पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का पेश किया गया, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 25.09.2024 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 से 3 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-151 सीपीसी मय राजीनामा की प्रति प्रस्तुत की। साथ मूल राजीनामा की प्रति न्यायालय समक्ष ताईद हेतु प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश करने का अवसर चाहा गया। निर्णय से पूर्व अधिवक्ता अपीलार्थी को जवाब पेश करने का अवसर</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 50/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/54) श्री चिरंजीलाल अहीर बनाम श्री कैलाश अहीर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>दिया गया, परन्तु निर्णय दिनांक अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जो यह दर्शाता है कि वह प्रकरण में कुछ नहीं कहना चाहते हैं।</p> <p>प्रत्यर्थी-1 से 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा राजीनामा पेश कर अवगत कराया कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-3 के मध्य, जो कि पति पत्नि थे, दोनों के मध्य राजीनामा हो गया है। उक्त राजीनामा अनुसार अपीलार्थी को वसीयत एवं पारित नामान्तरकरण से कोई आपत्ति नहीं है और उक्त राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।</p> <p>प्रत्यर्थी-4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय परोकार द्वारा राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।</p> <p>हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।</p> <p>पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी श्री चिरंजीलाल मुख्य रूप से अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 09.02.2021 से आपत्ति होकर उसके आधार पर पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण से व्यथित था, जिस हेतु हस्तगत अपील पेश की गई। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 से 3 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-151 सीपीसी मय राजीनामा की प्रति प्रस्तुत की। साथ मूल राजीनामा की प्रति न्यायालय समक्ष ताईद हेतु प्रस्तुत की गई। उक्त राजीनामा अनुसार यह तथ्य प्रकट हुए हैं कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-3 पति पत्नि थे। अपीलार्थी पिछले 30 वर्षों से लगातार अपने पिता का घर छोड़कर बड़ौदा गुजरात में निवासरत है और अन्य महिला से विवाह कर लिया है। उसके पिता द्वारा प्रत्यर्थी-1 से 3 के पक्ष में वसीयत दिनांक 09.02.2021 को निष्पादन होना माना है और उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई। पत्रावलियों का रिकॉर्ड अवलोकन किया गया तो हम यह पाते हैं कि प्रकरण में पारिवारिक विवाद के दृष्टिगत प्रकरण के नातिक निस्तारण के लिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए राजीनामा के आधार पर बाद जांच नियमनुसार नामांतरण की कार्यवाही किये जाने के लिए प्रकरण तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत होगा।</p> <p>उपरोक्तानुसार अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को राजीनामा के आधार पर बाद जांच नियमनुसार नामांतरण की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को इस न्यायालय के निर्णय की प्रति के साथ राजीनामा की प्रति प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर</p>	